NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 14-06-2025

विषय सूची

» जिला एवं राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ: वन अधिकार अधिनियम, 2006
» इजराइल-ईरान संघर्ष
» भारत और फ्रांस सहयोग बढ़ाने पर सहमत
» ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं8
» डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के अंतर्गत एग्री स्टैक

संक्षिप्त समाचार

» सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी
» ज्ञान पोस्ट सेवा
» भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा युद्धविराम प्रस्ताव से स्वयं को दूर रखा
» आभासी डिजिटल परिसंपत्तियाँ(VDAs)
» अविलिस्ट(AviList)
» इजराइल-ईरान तनाव से भारत के चाय निर्यात पर प्रभाव
» तेल ताड़ की खेती
» तोतापुरी आम
» प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)
» सेना ने रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया

जिला एवं राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ: वन अधिकार अधिनियम, 2006

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप; GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

- हाल ही में, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 'धर्ति आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' के अंतर्गत 324 जिला स्तरीय FRA सेल और 17 राज्य स्तरीय FRA सेल की स्थापना को मंजूरी दी है, ताकि **वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA)** के कार्यान्वयन को 'सुविधाजनक' बनाया जा सके।

FRA सेल क्या हैं?

- FRA सेल **धर्ति आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA)** के अंतर्गत बनाए गए राज्य और जिला स्तरीय प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जिनका उद्देश्य **वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA)** के कार्यान्वयन में तीव्रता लाना है।
- ये सेल **FRA 2006** कानून के अंतर्गत नहीं, बल्कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक प्रशासनिक योजना के अंतर्गत बनाई गई हैं।
- नव स्थापित **FRA सेल** उन जिलों और राज्यों में **FRA** के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जहाँ बड़ी संख्या में दावे लंबित हैं।
- ये सेल दावेदारों और **ग्राम सभाओं** को FRA दावों के लिए दस्तावेज तैयार करने, डेटा का कुशल प्रबंधन करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने में सहायता करते हैं।
- इनका उद्देश्य लंबित दावों के निपटारे में तीव्रता लाना है, विशेषकर वे दावे जो **जिला स्तरीय समिति (DLC)** की मंजूरी के बावजूद अटके हुए हैं।
- ये सेल **ग्राम सभा, उप-प्रभागीय स्तरीय समितियों (SDLCs), जिला स्तरीय समितियों (DLCs)** या **राज्य सरकार के विभागों** के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

वर्तमान स्थिति

- **21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों** में 51.11 लाख **FRA दावों** में से लगभग **14.45% लंबित** हैं।
- **न्यूनतम FRA लंबित दावे**: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड
- **अधिकतम FRA लंबित दावे**: असम (60% से अधिक) और तेलंगाना (लगभग 50.27%)
- अब तक सबसे अधिक **जिला स्तरीय FRA सेल** मध्य प्रदेश में स्वीकृत हुए हैं, इसके बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, असम और झारखंड में।

वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के बारे में

- इसे **अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** के रूप में आधिकारिक तौर पर जाना जाता है।
- इस अधिनियम को **अनुसूचित जनजातियों (STs) और अन्य पारंपरिक वनवासियों (OTFDs)** के **वन भूमि पर अधिकारों को मान्यता** देने के लिए लागू किया गया था।
- यह सुनिश्चित करता है कि **अनुसूचित जनजातियाँ (STs) और अन्य पारंपरिक वनवासी** वन संसाधनों को कानूनी रूप से **प्राप्त और प्रबंधित** कर सकें, साथ ही **जैव विविधता संरक्षण** में योगदान दें।
- इसका प्रभाव लगभग **150 मिलियन वनवासियों, 40 मिलियन हेक्टेयर भूमि और 1,70,000 गाँवों** पर पड़ता है।

नए FRA सेल को लेकर चिंताएँ

- **समानांतर शासन**: FRA ढांचे से बाहर **FRA सेल** का निर्माण **द्वैत संरचना** उत्पन्न कर सकता है, जिससे जवाबदेही कम हो सकती है।
- **कानूनी समर्थन की कमी**: FRA सेल के पास कोई **वैधानिक अधिकार नहीं** है, जबकि **SDLCs और DLCs** के पास हैं।
- **संभावित दोहराव**: नौकरशाही में **ओवरलैप** और जवाबदेही को **धुंधला** कर सकता है।

Source: TH

इजराइल-ईरान संघर्ष

पाठ्यक्रम: GS2/IR

संदर्भ

- IAEA के प्रस्ताव में ईरान पर परमाणु अनुपालन न करने का आरोप लगाया गया (दो दशकों में प्रथम बार)। इसके बाद, **इज़राइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया**, जो ईरान के **परमाणु और मिसाइल बुनियादी ढांचे** को निशाना बनाने के लिए एक समन्वित सैन्य हमला है।

परिचय

- इज़राइली अधिकारियों ने इस अभियान को **"अस्तित्व की लड़ाई"** बताया है, जिसका उद्देश्य **ईरान की दीर्घकालिक खतरा उत्पन्न करने की क्षमता को समाप्त करना** है।
- 1979 में **इस्लामी गणराज्य** की स्थापना के पश्चात्, **ईरान और इज़राइल संघर्ष में रहे हैं**, लेकिन **इज़राइल का हमला इस संघर्ष की एक महत्वपूर्ण वृद्धि** दर्शाता है।

ईरान की प्रॉक्सी युद्ध रणनीति

- ईरान ने वर्षों से **सशस्त्र गैर-राज्य समूहों** का एक नेटवर्क विकसित किया है, जो उसे **बिना सीधे युद्ध में उतरे प्रभाव बढ़ाने और इज़राइल को चुनौती देने** में सहायता करता है। इनमें शामिल हैं:
  - हमास (फ़िलिस्तीन), हिज़्बुल्लाह (लेबनान), हौती (यमन), और पॉपुलर मोबिलाइज़ेशन फ़ोर्सेस (PMF) (इराक)।
- इस प्रॉक्सी मॉडल ने ईरान को सक्षम बनाया है:
  - अपने जोखिम और लागत को कम करने में।
  - इज़राइल विरोधी कार्रवाइयों का समर्थन करते हुए इनकार की स्थिति बनाए रखने में।
  - इज़राइली सैन्य क्षमताओं को कई मोर्चों पर उलझाए रखने में।

ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क का रणनीतिक प्रभाव

- इस रणनीति के माध्यम से **ईरान ने अपनी सीमाओं से परे प्रभाव फैलाया है**, जो **भूमध्य सागर, लाल सागर और उत्तरी अरब सागर तक** पहुंचता है।
- इस **अप्रत्यक्ष युद्ध** ने ईरान को अपनी **भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने में सहायता की**, बिना बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई को आमंत्रित किए—अब तक।

इज़राइल की प्रॉक्सी समूहों के साथ निरंतर समस्या

- बार-बार **ईरान समर्थित समूहों** पर **सैन्य हमले** के बावजूद, **इज़राइल उन्हें पूरी तरह समाप्त या निष्प्रभावी करने में असमर्थ रहा है**। उदाहरण के लिए:
  - हमास गाजा में इज़राइली सैन्य कार्रवाई के बावजूद सक्रिय बना हुआ है।
  - हिज़्बुल्लाह अब भी लेबनान से खतरा उत्पन्न कर रहा है।
  - हौती गुट सैन्य हमलों के बावजूद यमन में मजबूती बनाए हुए हैं।
  - इन गुटों में हमास को छोड़कर अधिकांश ईरान से हथियार और प्रशिक्षण के मामले में भारी समर्थन प्राप्त करते हैं।

इज़राइल की सैन्य रणनीति में बदलाव

- इज़राइल ने निष्कर्ष निकाला है कि इन प्रॉक्सी गुटों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना पर्याप्त नहीं है।
- नई रणनीति का लक्ष्य मूल समस्या—ईरान है, जो "प्रतिरोध की धुरी" को समर्थन और पोषण देता है।
- 2024 में दोनों देशों के बीच विगत प्रत्यक्ष संघर्षों से सामरिक संतुलन नहीं बदला, लेकिन यह स्पष्ट हुआ कि कई क्षेत्रीय देश ईरान विरोधी इज़राइली दृष्टिकोण का मौन समर्थन करते हैं।

ईरान-इज़राइल संघर्ष के प्रभाव

- **प्रॉक्सी संघर्षों का विस्तार**: ईरान के क्षेत्रीय प्रॉक्सी—हमास, हिज़्बुल्लाह, हौती और PMF—प्रतिशोध ले सकते हैं, जिससे **मध्य पूर्व में एक व्यापक युद्ध** छिड़ सकता है।
- **अस्थिर राज्यों में हिंसा का उबाल**: लेबनान, इराक, सीरिया एवं यमन **आंतरिक राजनीतिक अराजकता और मानवीय संकट** का सामना कर सकते हैं।
- **समुद्री असुरक्षा**: होर्मुज़ जलडमरूमध्य, बाब अल-मंडब एवं पूर्वी भूमध्यसागर **खतरे में पड़ सकते हैं**, जिससे **वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो सकती है**।
- **तेल की कीमतों में उछाल**: ईरान—एक प्रमुख तेल उत्पादक—के युद्ध में शामिल होने से **वैश्विक तेल निर्यात बाधित हो सकता है, जिससे मुद्रास्फीति** बढ़ सकती है।
- **ईरान परमाणु समझौते (JCPOA) का पतन**: परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के प्रयास विफल हो सकते हैं, जिससे **शांतिपूर्ण समाधान की संभावना समाप्त हो सकती है**।
- **ईरान का दृढ़ संकल्प मजबूत होना**: इज़राइली हमलों से ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।
- **क्षेत्रीय परमाणु प्रतिस्पर्धा**: सऊदी अरब जैसे खाड़ी देश परमाणु हथियार क्षमता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।
- **क्षेत्रीय गठबंधनों का पुनर्संयोजन**: ईरानी आक्रामकता से भयभीत अरब देश इज़राइल के साथ सहयोग को गहरा कर सकते हैं।
- **भारत की रणनीतिक और आर्थिक चिंताएँ**:
  - भारत के 60% से अधिक कच्चे तेल की आपूर्ति मध्य पूर्व से आती है; अस्थिरता से आपूर्ति बाधित और चालू खाता घाटा बढ़ सकता है।
  - लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में काम करते हैं; युद्ध बढ़ने पर आपातकालीन निकासी और प्रेषण संकट उत्पन्न हो सकता है।
- भारत को इज़राइल, ईरान और अरब देशों के बीच संतुलन बनाए रखते हुए अपने रणनीतिक हितों की रक्षा करनी होगी।

Source: IE

भारत और फ्रांस सहयोग बढ़ाने पर सहमत

पाठ्यक्रम: GS2/IR

संदर्भ

- विदेश मंत्री **एस. जयशंकर** ने फ्रांसीसी समकक्ष के साथ विस्तृत चर्चा की, और दोनों पक्षों ने **रक्षा, सुरक्षा, अंतरिक्ष एवं असैन्य-परमाणु सहयोग** जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

भारत-फ्रांस संबंधों के प्रमुख बिंदु

- **भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी**:
  - **26 जनवरी 1998** को लॉन्च की गई, यह **भारत की प्रथम रणनीतिक साझेदारी** है।
  - **मूल दृष्टिकोण**: रणनीतिक स्वायत्तता को बढ़ाना और द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करना।
  - **मुख्य रणनीतिक स्तंभ**: रक्षा एवं सुरक्षा, असैन्य परमाणु सहयोग, और अंतरिक्ष सहयोग।
  - **विस्तारित क्षेत्र**: हिंद-प्रशांत सहयोग, समुद्री सुरक्षा, डिजिटलाइजेशन, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, उन्नत प्रौद्योगिकियाँ और आतंकवाद विरोध।
- **रक्षा सहयोग**:
  - यह **वार्षिक रक्षा संवाद (मंत्री स्तर)** और **उच्च रक्षा सहयोग समिति (HCDC) (सचिव स्तर)** के माध्यम से समीक्षा की जाती है।
  - **राफेल लड़ाकू विमान**: भारत ने **डसॉल्ट एविएशन** से 36 राफेल विमान खरीदे।
  - **स्कॉर्पीन पनडुब्बी (परियोजना P-75)**: फ्रांस की **नैवल ग्रुप** के साथ सहयोग; भारत में 6 पनडुब्बियाँ निर्मित, नवीनतम **INS वाघशीर**।
  - **लड़ाकू विमान इंजन विकास**: HAL और फ्रांस की **Safran Helicopter Engines** ने IMRH कार्यक्रम के अंतर्गत इंजन सह-विकास के लिए समझौता किया।

- हाल ही में, दोनों देशों ने **भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल-M लड़ाकू विमानों की खरीद हेतु अंत:-सरकारी समझौता (IGA) संपन्न किया।**
- **भविष्य की योजनाएँ**: आगामी पीढ़ी के लड़ाकू विमान इंजन का सह-विकास।
- **संयुक्त सैन्य अभ्यास**: शक्ति, वरुणा, FRINJEX-23।

- **आर्थिक सहयोग**:
  - यूरोपीय संघ में, **फ्रांस भारत का पाँचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है, जो नीदरलैंड, बेल्जियम, इटली और जर्मनी के बाद आता है।
  - भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय व्यापार **विगत दशक में दोगुना होकर 2023-24 में 15.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर** तक पहुँच गया।
  - दोनों देश **संयुक्त रूप से प्रौद्योगिकी विकास और वर्तमान तकनीकों के एकीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं।**
  - **यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) का फ्रांस में सफलतापूर्वक कार्यान्वयन** हो चुका है।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा, सतत निर्माण और शहरी बुनियादी ढाँचा विकास में फ्रांसीसी तकनीकों को भारत में शामिल किया जा रहा है।**
- **अंतरिक्ष सहयोग**:
  - ISRO और **CNES (फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी)** के बीच **60 वर्षों से अधिक का सहयोग** है।
  - **फ्रांस प्रमुख घटकों और लॉन्च सेवाओं (Arianespace) का प्रमुख आपूर्तिकर्ता** है।
  - **संयुक्त मिशन**: TRISHNA (सैटेलाइट मिशन), MDA सिस्टम्स, ग्राउंड स्टेशन समर्थन।
- **ऊर्जा सहयोग**:
  - **अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)**: 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा सह-स्थापित, वैश्विक सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए।
  - **परमाणु ऊर्जा सहयोग: इंडो-फ्रेंच रणनीतिक संवाद** के अंतर्गत **2025 में परमाणु ऊर्जा पर विशेष कार्य बल की प्रथम बैठक आयोजित की गई।**
    - दोनों पक्ष **कम और मध्यम शक्ति वाले मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टरों (AMR) पर साझेदारी स्थापित करने पर सहमत हुए।**
- **समुदाय**:
  - फ्रांस में **लगभग 1,19,000 भारतीय समुदाय** मौजूद हैं, जिनमें से अधिकांश **पूर्ववर्ती फ्रांसीसी उपनिवेशों** से संबंधित हैं।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन**: द्विपक्षीय व्यापार **संभावनाओं के अनुरूप नहीं है**, विशेष रूप से भारत के अन्य यूरोपीय संघ देशों के साथ व्यापार की तुलना में।
- **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और रक्षा प्रतिबंध**: फ्रांस **भारत के रक्षा लक्ष्यों का समर्थन करता है**, लेकिन **बड़ी रक्षा खरीद में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की गहराई को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।**
- **परमाणु दायित्व से जुड़ी चुनौतियाँ**:
  - 2008 के **नागरिक परमाणु समझौते** और **जैतापुर में रिएक्टरों की योजना** के बावजूद **प्रगति धीमी रही है।**
  - **नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम (2010)** फ्रांसीसी कंपनियों के लिए एक बाधा है, क्योंकि यह **परमाणु दुर्घटना की स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं पर दायित्व लागू करता है।**
- **भू-राजनीतिक मतभेद**:
  - चीन के साथ **फ्रांस के मजबूत आर्थिक संबंध** कभी-कभी **भारत के इंडो-पैसिफिक हितों के पूर्ण समर्थन को कम कर सकते हैं।**
  - **मध्य पूर्व की राजनीति (ईरान, इज़राइल-फिलिस्तीन) पर दृष्टिकोण में मतभेद।**

भविष्य की दृष्टि

- **होराइजन 2047 रोडमैप**: **भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए**, दोनों देशों ने **2047 तक द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने हेतु एक रोडमैप अपनाने पर सहमति व्यक्त की।**

- उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास और उत्पादन।
- संयुक्त रूप से विकसित उत्पादों का वैश्विक कल्याण हेतु अन्य देशों को निर्यात।
- सागर और अंतरिक्ष सुरक्षा सहयोग को गहरा करना।
- इंडो-पैसिफिक में रणनीतिक संवाद और संयुक्त सैन्य उपस्थिति के माध्यम से बढ़ती समरूपता।

- **निष्कर्ष**
  - भारत-फ्रांस **रक्षा सहयोग** उनकी **व्यापक रणनीतिक साझेदारी का एक आधारस्तंभ** है।
  - **संप्रभुता, बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय स्थिरता में साझा हितों** के साथ, **दोनों देश होराइजन 2047 दृष्टिकोण के अंतर्गत सहयोग को और ऊँचाई पर ले जाने के लिए तैयार हैं**—जिससे **रक्षा संबंध अधिक सहयोगी, नवोन्मेषी और निर्यात-उन्मुख बन सकें**।

Source: IE

ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएं

पाठ्यक्रम :GS1/सामाजिक मुद्दे

समाचार में

- कर्नाटक में **ऑनलाइन बाल यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार** पर एक प्रायोगिक अध्ययन ने **प्राथमिक स्तर से स्कूलों में डिजिटल साक्षरता और ऑनलाइन सुरक्षा को अनिवार्य बनाने की सिफारिश** की है।

अध्ययन के बारे में

- इसे **चाइल्डफंड इंडिया** और **कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (KSCPCR)** द्वारा संचालित किया गया।
- इसमें **8 से 18 वर्ष** की उम्र के **903 बच्चों** का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि **COVID-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन जोखिम में काफी वृद्धि हुई**।
- यह **बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षित रखने में माता-पिता, शिक्षकों, नीति-निर्माताओं और समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका** को उजागर करता है।

ऑनलाइन बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार

- यह **तकनीक का उपयोग करके बच्चों को यौन रूप से हानि पहुंचाने** की प्रक्रिया है, जो प्रायः **बल, दबाव या छल** के माध्यम से की जाती है।
- **बाल यौन शोषण** में ऐसे **दुर्व्यवहारपूर्ण संपर्क या बातचीत** शामिल होती है, जिसमें **बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध यौन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है**।
- **बाल यौन शोषण** में **भोजन या आश्रय जैसी वस्तुओं के बदले में किया गया दुर्व्यवहार** भी शामिल हो सकता है।

कारण

- प्रत्येक वर्ष कई बच्चे **ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार** का शिकार होते हैं।
- **AI, डीपफेक, वॉयस क्लोनिंग जैसी नई तकनीकों के दुरुपयोग** से यह समस्या और गंभीर हो गई है।
- ये तकनीकें **उत्पीड़न, गैर-सहमति वाली छवि साझा करना, बाल यौन शोषण सामग्री, ब्लैकमेल और लाइव स्ट्रीमिंग शोषण** को बढ़ावा देती हैं।
- **सुविधा-वंचित और हाशिए पर रहने वाले बच्चे अधिक प्रभावित** होते हैं।
- **कानूनों के बावजूद, सांस्कृतिक कलंक और प्रतिशोध का भय** कई पीड़ितों को न्याय पाने से रोकता है।

प्रभाव

- बाल यौन शोषण बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन और एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
- यह **बच्चों और किशोरों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव** डालता है।

वैश्विक स्तर पर कानून

- **1989 बाल अधिकार सम्मेलन** और **2007 लैंजारोटे सम्मेलन** जैसे अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संधियाँ **बच्चों के अधिकारों को निर्धारित करती हैं तथा उन्हें यौन शोषण और दुर्व्यवहार से बचाने की आवश्यकता** पर बल देती हैं।
- ये संधियाँ **दुर्व्यवहार को रोकने, पीड़ितों की सुरक्षा, अपराधियों पर मुकदमा चलाने और प्रभावी जांच व रोकथाम में सहयोग बढ़ाने** पर केंद्रित हैं।

भारत में स्थिति

- वर्तमान में, **आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67B** उन लोगों को दंडित करती है जो **इलेक्ट्रॉनिक रूप में बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करते हैं।**
- **POCSO अधिनियम 2012 की धारा 13, 14 और 15** बच्चों का **पोर्नोग्राफी के लिए उपयोग, बाल अश्लील सामग्री संग्रहित करना और यौन संतुष्टि के लिए बच्चों का शोषण** प्रतिबंधित करती है।
- **भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 294 अश्लील सामग्री के विक्रय, वितरण या सार्वजनिक प्रदर्शन** को अपराध मानती है, और **धारा 295 बच्चों को ऐसी सामग्री बेचने, वितरित करने या प्रदर्शित करने** को अवैध घोषित करती है।

सुझाव

- भारत की वर्तमान कानून और नीति रूपरेखा को भविष्य की चुनौतियों के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है।
- डिजिटल साक्षरता, ऑनलाइन अधिकारों की जागरूकता, मजबूत समर्थन प्रणाली और नैतिक डिजिटल व्यवहार को शामिल करने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।
- सहमति, गोपनीयता और जिम्मेदार तकनीक उपयोग पर शिक्षा, साथ ही AI-जनित दुर्व्यवहारों से निपटने के लिए अद्यतन कानून, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- माता-पिता की निगरानी को बढ़ाना, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और बच्चों व माता-पिता के बीच खुली संवाद प्रक्रिया को बढ़ावा देना आवश्यक है।

Source :TH

डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के अंतर्गत एग्री स्टैक

पाठ्यक्रम: GS3/ कृषि

समाचार में

- **कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय** ने **डिजिटल कृषि मिशन (DAM)** के अंतर्गत **राष्ट्रीय सम्मेलन ऑन एग्री स्टैक** की मेजबानी की।

एग्री स्टैक क्या है?

- **एग्री स्टैक** विभिन्न **तकनीकी प्लेटफॉर्म** का एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र है, जो **किसान की पहचान, भूमि रिकॉर्ड, फसल डेटा और योजनाओं के लाभ** को एकीकृत करता है।
  - इसका **मुख्य उद्देश्य डेटा-संचालित उपकरणों के माध्यम से कृषि सेवाओं का निजीकरण** करना है।
  - उदाहरण: **एग्री स्टैक को PM-KISAN, PMFBY, KCC और MSP खरीद प्रणाली से जोड़ना**, ताकि लक्षित लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

सम्मेलन के प्रमुख बिंदु

- सटीक किसान पहचान के लिए डिजिटल भूमि रिकॉर्ड और आधार सीडिंग के महत्व पर बल दिया गया।
- **मंत्रालय ने एग्री स्टैक का अवलोकन प्रस्तुत किया**, जिसमें **फार्मर आईडी का प्रमुख योजनाओं—PM-KISAN, PMFBY और KCC—के साथ एकीकरण** शामिल है।
- **CKO ने 'डिजिटली वेरीफायबल क्रेडेंशियल' (DVC) प्रस्तुत किया**, जिसे **किसान पहचान पत्र** भी कहा जाता है।
  - किसान **विशिष्ट भूमि पार्सल और फसल** के लिए **सत्यापित क्रेडेंशियल** उत्पन्न कर सकते हैं।
  - **DVCs को DigiLocker से जोड़ा गया है और भूमि परिवर्तन के साथ इन्हें स्वत: निरस्त किया जाता है।**

- **विशेष केंद्रीय सहायता (SCA) दिशानिर्देशों का शुभारंभ** किया गया।
  - **₹6,000 करोड़ का बजट राज्यों के लिए आवंटित** किया गया:
    - ₹4,000 करोड़ **किसान रजिस्ट्री** (कानूनी उत्तराधिकारी प्रणाली सहित)।
    - ₹2,000 करोड़ **डिजिटल फसल सर्वेक्षण** के लिए (पहले आओ, पहले पाओ आधार पर)।
- **मंत्रालय ने एग्री स्टैक डेटा पर प्रशिक्षित एक एआई-समर्थित चैटबॉट प्रदर्शित किया**, जो **गूगल जेमिनी का उपयोग करके विकसित किया गया है** और **अनेक भाषाओं में प्रश्नों का उत्तर दे सकता है**।

डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के बारे में

- **डिजिटल कृषि मिशन** को विभिन्न **डिजिटल कृषि पहलों का समर्थन करने के लिए एक व्यापक योजना** के रूप में तैयार किया गया है।
- इसमें **डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI) बनाना**, **डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण (DGCES) लागू करना**, और **केंद्र सरकार, राज्य सरकारों व शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा आईटी पहलों का समर्थन करना** शामिल है।
- यह दो **आधार स्तंभों** पर निर्मित है:
  - एग्री स्टैक
  - कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (Krishi DSS)
- **एग्री स्टैक** को **किसान-केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा (DPI)** के रूप में डिज़ाइन किया गया है, ताकि **किसानों तक सेवाओं और योजनाओं की डिलीवरी को सुव्यवस्थित किया जा सके**। यह तीन प्रमुख घटकों को शामिल करता है।

- **कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS)**
  - यह **फसल, मृदा , मौसम और जल संसाधनों पर रिमोट सेंसिंग डेटा** को **एक समग्र भू-स्थानिक प्रणाली** में एकीकृत करेगा।

डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के लाभ

- सेवाओं एवं लाभों तक पहुँच के लिए डिजिटल प्रमाणीकरण, जिससे कागजी कार्य कम होगा और भौतिक यात्रा की आवश्यकता घटेगी।
- सरकारी योजनाओं, फसल बीमा, और ऋण प्रणाली में दक्षता एवं पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि फसल क्षेत्र तथा पैदावार के सटीक डेटा उपलब्ध होंगे।
- बेहतर आपदा प्रतिक्रिया और बीमा दावों के लिए फसल मानचित्रण और निगरानी।
- डिजिटल अवसंरचना का विकास, जिससे मूल्य श्रृंखला का अनुकूलन किया जा सके और फसल योजना, स्वास्थ्य, कीट प्रबंधन और सिंचाई के लिए विशेष परामर्श सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

पाठ्यक्रम :GS1/इतिहास

समाचार में

- पुणे के गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स (GIPE) और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी (SIS) के बीच एक संयुक्त बैंक खाते के नियंत्रण एवं वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर तनाव फिर से उभर आया है।

सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी

- 'सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने जून 1905 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में फर्ग्यूसन हिल पर की थी।
- उनके साथ तीन सहयोगी थे — नटेश अप्पाजी द्रविड़, गोपाल कृष्ण देवधर और अनंत विनायक पटवर्धन।
- इसका उद्देश्य निःस्वार्थ, समर्पित कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाना था जो राष्ट्र सेवा के लिए प्रतिबद्ध हों।
- सदस्यों ने त्याग का संकल्प लिया और शिक्षा, सामाजिक कल्याण एवं ग्रामीण व जनजातीय समुदायों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया।
- इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न होकर भारतीय जनता की भलाई को बढ़ावा देना था।
- स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसने विभिन्न समूहों को एकजुट करने और सामाजिक एकीकरण में अहम भूमिका निभाई।

गोपाल कृष्ण गोखले

- उनका जन्म 9 मई 1866 को महाराष्ट्र में हुआ था।
- वह स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक प्रमुख भारतीय उदार राजनीतिक नेता और सामाजिक सुधारक थे।
- उन पर पश्चिमी राजनीतिक विचारों और न्यायमूर्ति एम.जी. रानाडे के सामाजिक कार्यों का गहरा प्रभाव था।
- वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता रहे और भारतीय स्वराज तथा सामाजिक सुधार के प्रबल समर्थक थे।
- वह एक प्रमुख उदारवादी विचारक थे जो क्रमिक सामाजिक प्रगति और संवैधानिक मार्ग में विश्वास रखते थे।
  - उन्होंने ब्रिटिश शासन का समर्थन किया, यह मानते हुए कि इसने भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की।
  - उनका तर्क था कि ब्रिटिश उपस्थिति से भारत को उद्योग, शिक्षा, वाणिज्य और राजनीति में प्रगति मिलेगी, जिससे अंततः स्वशासन का मार्ग प्रशस्त होगा।

- उन्होंने महात्मा गांधी का मार्गदर्शन किया और मॉर्ले-मिंटो सुधारों में प्रमुख भूमिका निभाई।
  - अपने विद्वतापूर्ण भाषणों और आर्थिक दृष्टिकोणों के लिए प्रसिद्ध, उनका निधन 19 फरवरी 1915 को हुआ।

Source :TOI

ज्ञान पोस्ट सेवा

पाठ्यक्रम: GS2/ई गवर्नेंस

समाचार में

- संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग ने 'ज्ञान पोस्ट' की शुरुआत की है, जो शैक्षिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए एक समर्पित डाक सेवा है।

परिचय

- 'ज्ञान पोस्ट' सभी डाकघरों के माध्यम से संचालित होता है, जिसमें 300 ग्राम तक के पैकेट के लिए न्यूनतम शुल्क 20 रुपये और 5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए अधिकतम शुल्क 100 रुपये है, जो करों को छोड़कर लागू होगा।
- इसका उद्देश्य भारत के दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों सहित, मुद्रित शैक्षिक सामग्री को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर शैक्षिक अंतर को कम करना है।
- डिलीवरी सतह-आधारित (सड़क या रेल मार्ग द्वारा) होगी, जिससे लागत कम रहे।
- पार्सलों पर स्पष्ट रूप से "ज्ञान पोस्ट" लेबल अंकित होना आवश्यक है।
- केवल मुद्रित शैक्षिक सामग्री की ही अनुमति होगी; हस्तलिखित पत्र, व्यक्तिगत संदेश, या आवधिक रूप से प्रकाशित पत्रिकाएं नहीं भेजी जाएंगी।

Source: PIB

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा युद्धविराम प्रस्ताव से स्वयं को दूर रखा

पाठ्यक्रम :GS2/IR

समाचार में

- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें गाजा में तत्काल, बिना शर्त और स्थायी युद्धविराम की मांग की गई।

गाजा युद्धविराम प्रस्ताव (UNGA में)

- यह स्पेन द्वारा प्रस्तुत किया गया और 149 मतों के साथ भारी बहुमत से पारित हुआ, जिसमें गाजा में नागरिकों की सुरक्षा और मानवीय सहायता की पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की गई।
  - गाजा संघर्ष में अब तक 55,000 से अधिक मृत्युएँ हो चुकी हैं, और संयुक्त राष्ट्र तथा मानवीय एजेंसियों ने अकाल एवं बिगड़ते मानवीय संकट की चेतावनी दी है।

प्रस्ताव के प्रमुख तत्व

- यह सभी पक्षों द्वारा तत्काल, बिना शर्त एवं स्थायी युद्धविराम की मांग करता है, साथ ही हमास और अन्य समूहों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई पर बल देता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2735 के पूर्ण कार्यान्वयन की अपील करता है, जिसमें सैनिकों की वापसी, कैदियों की अदला-बदली और विस्थापित व्यक्तियों की वापसी शामिल है।
- यह अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी और मानवाधिकार कानूनों को बनाए रखने की जिम्मेदारी को पुनः पुष्ट करता है, अकाल एवं सहायता रोकने को युद्ध की रणनीति के रूप में प्रयोग करने की निंदा करता है, तथा पूरे गाजा में बिना रोकटोक मानवीय सहायता की मांग करता है।
- यह मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के मानवीय व्यवहार और रिहाई, अवशेषों की वापसी, तथा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से इजराइल की कानूनी जिम्मेदारियों पर एक सलाहकार राय की मांग को उजागर करता है।

- यह गाजा की नाकेबंदी समाप्त करने की मांग करता है, इजराइल से जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल देता है, तथा संयुक्त राष्ट्र कर्मियों, मानवीय कार्यकर्ताओं एवं चिकित्सा कर्मचारियों की सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

भारत की स्थिति

- भारत ने गाजा में युद्धविराम की मांग करने वाले हालिया संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव में मतदान से परहेज किया, जो तीन वर्षों में चौथी ऐसी अनुपस्थिति थी।
  - यह भारत के दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि उसने दिसंबर 2024 में एक समान प्रस्ताव का समर्थन किया था।
  - भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता दी थी और वह 193 UNGA सदस्य देशों में से 147 देशों में शामिल है, जिन्होंने पहले ही फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी है।
  - भारत दो-राज्य समाधान का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें फिलिस्तीनी लोग स्वतंत्र रूप से सुरक्षित सीमाओं के अन्दर एक स्वतंत्र देश में रह सकें, साथ ही इजराइल की सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए।

Source :TH

आभासी डिजिटल परिसंपत्तियाँ(VDAs)

पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था

समाचार में

- आयकर विभाग उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों द्वारा आभासी डिजिटल संपत्तियों (VDAs) में निवेश के माध्यम से कर चोरी और बेहिसाब आय के शोधन की जांच कर रहा है।

आभासी डिजिटल संपत्तियों (VDAs) के अनुसार

- वित्त अधिनियम 2022 के अनुसार, VDAs वे डिजिटल संपत्तियां हैं जो लेन-देन के लिए ब्लॉकचेन या क्रिप्टोग्राफिक तकनीक का उपयोग करती हैं, जैसे कि क्रिप्टोकरेंसी, NFT और समान संपत्तियां।

VDAs के लिए कर निर्धारण प्रावधान

- धारा 115BBH के अंतर्गत क्रिप्टो लाभ पर 30% का फ्लैट कर।
- कोई कटौती की अनुमति नहीं (केवल अधिग्रहण लागत को छोड़कर)।
- 1 जुलाई 2022 से प्रत्येक क्रिप्टो लेन-देन पर 1% टीडीएस लागू (धारा 194S)।
- CBDT की "NUDGE" रणनीति केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) "NUDGE" (डेटा के गैर-हस्तक्षेपकारी उपयोग द्वारा मार्गदर्शन और सक्षम करना) दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से अपना रहा है, जिसका उद्देश्य "विश्वास पहले" दर्शन के माध्यम से स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना है।

Source: IE

अविलिस्ट(AviList)

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

समाचार में

- अविलिस्ट, पक्षी प्रजातियों की पहली एकीकृत वैश्विक चेकलिस्ट, के लॉन्च से पक्षी वर्गीकरण के मानकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है।

अविलिस्ट के बारे में

- यह पक्षी प्रजातियों की प्रथम वैश्विक एकीकृत चेकलिस्ट है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पक्षी वैज्ञानिक संघ (अंतर्राष्ट्रीय पक्षी विज्ञानी संघ) के अंतर्गत एवियन चेकलिस्ट्स कार्य समूह द्वारा चार वर्षों के गहन सहयोग के बाद लॉन्च किया गया।
- यह सभी प्रमुख वर्तमान सूचियों (जैसे IOC और Clements) को प्रतिस्थापित करता है, जिससे पक्षी वर्गीकरण में स्थिरता एवं स्पष्टता आती है।
- यह आकारिकी विशेषताओं, आनुवंशिक डेटा, स्वर के पैटर्न, पारिस्थितिकी, प्रजनन पृथक्करण और भूगोल के संयोजन का उपयोग करता है।
- यह .csv और .xlsx प्रारूपों में डाउनलोड करने योग्य है— वैज्ञानिकों, छात्रों और नागरिकों के लिए उपलब्ध।

संरक्षण के लिए इसका महत्व

- संकटग्रस्त प्रजातियों और जनसंख्या प्रवृत्तियों के सटीक ट्रैकिंग को सक्षम करता है।
- अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय समझौतों में समन्वय में सुधार करता है।
- प्रजाति संरक्षण के लिए संसाधनों के लक्षित आवंटन में सहायता करता है।

Source: DTE

इजराइल-ईरान तनाव से भारत के चाय निर्यात पर प्रभाव

पाठ्यक्रम: GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

- इज़राइल-ईरान के बीच बढ़ते तनाव से भारत के चाय निर्यात में संभावित व्यवधान का खतरा उत्पन्न हो रहा है।

चाय के बारे में

- टी बोर्ड के अनुसार, भारत से चाय निर्यात जनवरी से दिसंबर 2024 तक 9.92% बढ़कर 254.67 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच गया, जबकि विगत कैलेंडर वर्ष में यह 231.69 मिलियन किलोग्राम था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है।
- **निर्यात की जाने वाली चाय के प्रकार:** मुख्य रूप से ब्लैक टी (96%), साथ ही सामान्य, ग्रीन, हर्बल, मसाला और नींबू चाय की कम मात्रा।
- **मुख्य प्रेरक:** पश्चिम एशिया, विशेष रूप से इराक को भेजी गई खेपों में महत्वपूर्ण वृद्धि, जो अब भारत के चाय निर्यात का 20% है।
- **भारत के निर्यात गंतव्य:** यूएई, इराक, ईरान, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित 25 से अधिक देश।
- **प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र:** असम (असम घाटी, कछार) और पश्चिम बंगाल (डुआर्स, तराई, दार्जिलिंग)।
- **वैश्विक प्रतिष्ठा:** भारतीय चाय, विशेष रूप से असम, दार्जिलिंग और नीलगिरी, अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं।
  - चीन विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश है, उसके बाद भारत आता है।

चाय की खेती के लिए भौगोलिक कारक

- **तापमान:** 20–30°C (आदर्श), कोई पाला नहीं।
- **वर्षा:** 150–300 सेंटीमीटर वार्षिक; पूरे वर्ष समान रूप से वितरित।
- **मृदा:** गहरी, अच्छी तरह से जल निकासी वाली, अम्लीय मृदा जो ह्यूमस से समृद्ध हो; दोमट मृदा को प्राथमिकता दी जाती है।
- **स्थलाकृति:** जलभराव से बचने के लिए पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है; 600–2,000 मीटर की ऊंचाई आदर्श है।
- **छाया:** चाय को तीव्र धूप से बचाने के लिए छाया देने वाले पेड़ों की आवश्यकता होती है।

भारतीय चाय बोर्ड

- यह 1954 में चाय अधिनियम, 1953 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
- इसे भारतीय चाय उद्योग को नियंत्रित करने और भारत में चाय उत्पादकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया था।
- भारत के चाय उगाने वाले क्षेत्रों में उत्पादित सभी चायों का प्रशासन चाय बोर्ड द्वारा किया जाता है।
- बोर्ड में 32 सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा चाय उद्योग के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया जाता है।
- बोर्ड का मुख्य कार्यालय कोलकाता में स्थित है।

Source: BS

तेल ताड़ की खेती

पाठ्यक्रम: GS3/कृषि

संदर्भ

- तेल ताड़ की खेती तीव्रता से तेलंगाना में अपना तीव्रता से विस्तार कर रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आकांक्षाएं परिवर्तित हो रही हैं।

तेल ताड़ के बारे में

- तेल ताड़ (Elaeis guineensis Jacq.) पश्चिम अफ्रीका का मूल निवासी है और इसे अफ्रीकी तेल ताड़ या लाल तेल ताड़ के नाम से जाना जाता है।
- यह सबसे अधिक खाद्य तेल देने वाली बहुवर्षीय फसल मानी जाती है।
- यह दो प्रकार के तेलों का उत्पादन करता है— ताड़ तेल और ताड़ गुठली तेल।
  - ताड़ तेल फलों के मांसल मध्यकर्प से प्राप्त होता है, जिसमें लगभग 45-55% तेल होता है।
  - ताड़ गुठली तेल, कठोर बीज की गुठली से प्राप्त होता है, जो लॉरिक तेल का संभावित स्रोत है।
- ताड़ तेल अपने मूल्य लाभ के कारण खाना पकाने के माध्यम के रूप में अच्छी उपभोक्ता स्वीकृति प्राप्त करता है।
- **उपयोग**:
  - साबुन, मोमबत्तियां, प्लास्टिसाइज़र आदि बनाने के लिए ओलियो रसायनों के निर्माण हेतु कच्चा माल।
  - खाद्य तेल, सौंदर्य प्रसाधन, दवाएं, जैव-ईंधन और जैव-स्नेहक।
- **वितरण:** इसे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों (मलेशिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी), अफ्रीकी देशों और दक्षिण अमेरिकी देशों में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है।
  - इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा ताड़ तेल उत्पादक देश है, उसके बाद मलेशिया का स्थान है।
- **जलवायु संबंधी स्थितियां:** तेल ताड़ एक आर्द्र फसल है, जिसे 150 मिमी/माह या 2500-4000 मिमी/वर्ष की समान रूप से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है।
  - **तापमान:** अधिकतम 29-33°C और न्यूनतम 22-24°C।
  - **उत्तम अनुकूल मृदा :** नम, अच्छी जल निकासी वाली, गहरी, दोमट अवसादी मृदा, जो जैविक पदार्थों से समृद्ध हो और जल पारगम्यता अच्छी हो। कम से कम एक मीटर गहरी मृदा आवश्यक होती है।
  - **भारत में तेल ताड़ की शुरुआत:** तेल ताड़ को भारत में 1886 में कोलकाता के राष्ट्रीय रॉयल बॉटनिकल गार्डन में प्रस्तुत किया गया था।
  - **भारत में प्रमुख तेल ताड़ उत्पादक राज्य:** आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल।

Source: TH

तोतापुरी आम

पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण

संदर्भ

- कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच तोतापुरी आमों की आवाजाही को लेकर नया विवाद छिड़ गया है, जो मुख्य रूप से गूदा उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाली एक लोकप्रिय किस्म है।

तोतापुरी आम के बारे में

- तोतापुरी आम, एक लोकप्रिय और रसीला प्रकार, अपने लम्बे आकार और विशिष्ट तोते की चोंच जैसी नोक से आसानी से पहचाना जा सकता है।
- मुख्य रूप से दक्षिण भारत का मूल निवासी, यह क्षेत्रीय नामों जैसे गिनिमूथी, सैंडर्शा और बैंगलोरा से भी जाना जाता है।
- तोतापुरी आम उष्णकटिबंधीय जलवायु में पनपते हैं, जो गर्म तापमान और शुष्क ग्रीष्मकाल से युक्त होती है।

प्रमुख मुद्दे

- **किसान कल्याण:** आंध्र प्रदेश के चित्तूर कलेक्टर ने कर्नाटक से आमों के प्रवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। कर्नाटक के आम किसान विशेष रूप से सीमा क्षेत्रों में चित्तूर के गूदा कारखानों पर निर्भर हैं। यह प्रतिबंध उन्हें बिना किसी वैकल्पिक खरीदार के छोड़ देता है, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- **सहकारी संघवाद बनाम संरक्षणवाद:** आंध्र प्रदेश की इकतरफा कार्रवाई परामर्श प्रक्रिया को नजरअंदाज करती है। यह संघवाद की भावना और अंतरराज्यीय कृषि व्यापार प्रवाह के विरुद्ध जाती है।

अंतरराज्यीय व्यापार प्रतिबंधों की वैधता

- **अनुच्छेद 301:** भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और सामाजिक संपर्क स्वतंत्र होना चाहिए।
- **अनुच्छेद 304(बी):** राज्यों को केवल तब प्रतिबंध लगाने की अनुमति है जब:
  - यह सार्वजनिक हित में उचित हो, और
  - राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया हो, और
  - राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो।

Source: TH

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY)

पाठ्यक्रम: GS3/मत्स्य पालन क्षेत्र

सन्दर्भ

- केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि बैठक 2025 के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के लिए सहयोगात्मक प्रयासों की अपील की है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

- यह मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की प्रमुख योजना है, जिसे 2020 में शुरू किया गया था।
  - इस योजना को वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक पांच वर्षों की अवधि में लागू करने की मंजूरी दी गई है।
- **उद्देश्य:** विभिन्न योजनाओं और पहलों के एकीकृत प्रयासों के माध्यम से 'सूर्योदय' मत्स्य क्षेत्र को गति प्रदान करना।
- **PMMSY एक व्यापक योजना है जिसमें दो अलग-अलग घटक शामिल हैं:**
  - केंद्रीय क्षेत्र योजना (CS)
  - केंद्र प्रायोजित योजना (CSS)
- **केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) घटक को आगे दो उपघटकों/गतिविधियों में विभाजित किया गया है:**
  - उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि
  - बुनियादी ढांचा और कटाई के बाद प्रबंधन
  - मत्स्य प्रबंधन और विनियामक ढांचा
- **महत्त्व:** यह योजना मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, तकनीक, कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे और प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण और मजबूती, पता लगाने की क्षमता, एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण अंतराल को संबोधित करती है।

Source: PIB

सेना ने रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण किया

पाठ्यक्रम :GS3/रक्षा

समाचार में

- रुद्रास्त्र भारत का नया स्वदेशी वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग (VTOL) ड्रोन है, जिसे भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

रुद्रास्त्र

- यह एक हाइब्रिड वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग (VTOL) ड्रोन है, जिसे सोलर एयरोस्पेस एंड डिफेंस लिमिटेड (SDAL) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह हेलीकॉप्टर की तरह वर्टिकल टेकऑफ और विमान की तरह लंबी दूरी की उड़ान भरने में सक्षम है।
- सटीक एंटी-पर्सनेल हमलों के लिए डिजाइन किया गया, यह 50 किमी से अधिक दूर लक्ष्य भेद सकता है और इसकी कुल सीमा 170 किमी है।
- यह शत्रु के शिविरों या तोपखाने पर गहरे हमलों के लिए आदर्श है और सेना को एक शक्तिशाली स्टैंड-ऑफ हथियार प्रदान करता है, जिसमें सैनिकों को कोई जोखिम नहीं होता।

महत्त्व

- यह वर्टिकल टेकऑफ कर सकता है, लंबी दूरी तक उड़ सकता है, सीमाओं के पार सटीक हमले कर सकता है, और स्वायत्त रूप से लौट सकता है— जिससे शत्रुओं को जमीन पर सैनिकों को तैनात किए बिना एक स्मार्ट एवं सुरक्षित तरीके से मुकाबला करने का अवसर मिलता है।

Source :ET